न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/1239/2003/बीकानेर

1– मु0 लाली पत्नि सुरजाराम जाति ब्राहम्ण

2– श्रीमति विमला पुत्री सुरजाराम

3– श्रीमति कमला पुत्री सुरजाराम

4– श्रीमति विद्या पुत्री सुरजाराम

5– बनवारी पुत्र सुरजाराम

6– शंकर पुत्र सुरजाराम

7– कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– केशुराम पुत्र कालूराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–

1/1 हरी पुत्र केसूराम )केसूराम जाति ब्राहम्ण निवासी

1/2 लालचंद पुत्र केसूराम )शेखसर गांव के पास तहसील

1/3 ओम पुत्र केसूराम )लूनकरनसर जिला बीकानेर

1/4 रामेती पुत्री केसूराम )

1/5 अन्ना पुत्री केसूराम )

1/6 नरसी पुत्र केसूराम )समस्त नाबालिग जरिये वली हरी

1/7 गोपी पुत्र केसूराम )पुत्र केसूराम जाति ब्राहम्ण निवासी

1/8 गौरीशंकर पुत्र केसूराम)शेखसर गांव के पास तह0

1/9 गुडिया पुत्री केसूराम )लूनकरनसर जिला बीकानेर।

2– माली पत्नि तुलछाराम ) जाति ब्राहम्ण निवासी

3– सुल्तान पुत्र तुलछाराम ) पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील

4– लालचंद पुत्र तुलछाराम ) लूनकरणसर जिला बीकानेर

5– श्रीमति रूकमा पुत्री तुलछाराम )

6– श्रीमति गायत्री पुत्री तुलछाराम )

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः28–09–18

ये द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील सं0 45/1999 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 14–01–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के न्यायालय में एक दावा अधिनियम की धारा 88,89 एवं 125/136 सी0आर0पी0सी0 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 8 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने वादी का वाद अपने निर्णय 15–10–99 द्वारा डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–01–2003 स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–10–99 को निरस्त किया तथा प्रकरण वर्तमान अधिकार क्षैत्र उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का पुनः अवसर देकर यह जांच की जावें कि विवादित भूमि कालूराम के धारण की भूमि थी

अथवा वादी के पति/पिता सुरजाराम की आवंटनशुदा भूमि थी। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उल्लेखित तथ्यों व साक्ष्य पर गौर किए बिना अपना निर्णय प्रदान किया है तथा अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य को गलत रूप से निर्णय में अंकित किया है। उनका तर्क था कि विवादित भूमि पुराने खेत खसरा नं0 पुराना 49/2 तादादी 30 बीघा, खसरा नं0 तादादी 49 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 244/2 तादादी 24 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 247/2 तादादी 15 बीघा 3 बिस्वा कुल 178 बीघा 19 बिस्वा भूमि अपीलार्थी सं0 1 के पति व अपीलार्थी सं0 2 से 7 के पिता अकेले सुरजाराम ब्राहम्ण के कब्जे काश्त में थी एवं राजस्व अभिलेख जमाबंदी में गैरखातेदारी में दर्ज थी। बंदोबस्त में भी नये खसरा नं0 204,248,260,560,561,356 व 187 बने है, जो अकेले सुरजाराम के नाम दर्ज हुए तथा संवत् 2031 से 34 की जमाबंदी में लगातार दर्ज रहे है। लेकिन संवत् 2035 से 39 की जमाबंदी में अमलामाल ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के जमाबंदी के खाना सं0 5 में अकेले सुरजाराम के नाम के आगे व वल्द कालुराम के पहले तीर का निशान लगाकर ‘‘तुलछा व केशु’’ नाम बढ़ा दिया। उक्त इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रेकार्ड ऑफ राईट्स में बढ़ाए गए थे, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष दावा ‘‘तुलछा व केसु’’ के बढाये गये नामों को जमाबंदी सं0 2035 से 39 से हटाने व दुरस्त करने हेतु पेश किया गया, जिसे अपीलार्थीगण ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया किन्तु अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस बिन्दु पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया व ना ही इस बिन्दु पर विचार किया, ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि कालुराम की थी या नहीं,

यह बिन्दु विचारणीय नहीं था फिर भी उन्होंने नया बिन्दु उठाकर प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया। उनका कथन था कि प्रत्यर्थी ने अपने जवाबदावे तथा प्रथम अपील में यह कही भी नहीं बताया कि जमाबंदी संवत् 2035 से 39 में सुरजाराम के नाम के उपर खाना सं0 5 में तुलछा व केसु के नाम किसके आदेश से बढाए गए। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए अपना निर्णय प्रदान किया है किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकियात पर अपना निष्कर्ष करते हुए निर्णय प्रदान नहीं किया है। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को मौके दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की, ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड नहीं करना चाहिए था। उनका तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय न्याय,नियम एवं अभिलेख के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अपने वाद पत्र के पैरा सं0 1 में लिखा है कि पुराना खसरा नं0 49/2 की 30 बीघा, ख0नं0 50 की 48 बीघा 19 बिस्वा, 244/2 की 24 बीघा 17 बिस्वा, 247/2 की 15 बीघा 3 बिस्वा कुल 178 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता व पति सुरजाराम के नाम संवत् 2010 से लगातार आज तक कब्जे काश्त में चली आ रही है जबकि लाली ने जिरह में कहा है कि यह भूमि हमें 2014–15 में मेरे पति को अलोट हुई थी। विचारण न्यायालय में जो अभिलेख पेश हुआ है वह भू प्रबंध के बाद का है जो सहबन से पिता की मृत्यु के उपरान्त बड़े पुत्र सुरजाराम के नाम दर्ज हो गया। विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पुश्तैनी संवत् 2010 से साबित नहीं होते हुए भी वादीगण का वाद डिक्री किया है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलार्थी खुद अपने जवाबदावे में इस बात को मानता है कि भू प्रबंध के दौरान संवत् 2017 से 2034 तक नाम बड़े पुत्र के रूप में सुरजाराम का दर्ज है। उनका तर्क था कि प्रत्यर्थी के पिता

कालूराम की मृत्यु के बाद भू प्रबंध विभाग द्वारा सर्वे संवत् 2017 से 2025 के अभिलेख में यह भूमि कानूराम के बड़े पुत्र सुरजाराम के नाम दर्ज कर दी, जिसकी जानकारी होने पर प्रत्यर्थी सं0 1,2 से 6 तथा अपीलार्थीगण के पति व पिता के मध्य दिनांक 20–12–82 को सहमति से खाता विभाजन किया गया और बहिस्सा बराबर का नामान्तरकरण सं0 767 दर्ज किया गया, अतः सुरजाराम की मृत्यु के उपरान्त वादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि अपने पति व पिता के धारण की बताकर जो दावा पेश किया गया, उसे विचारण न्यायालय ने अभिलेख के विपरीत डिक्री किया। उनका तर्क था कि भू प्रबंध में यदि गलती हो जाती है तो उपखण्ड अधिकारी उसे दुरस्त कर सकते है। उनका तर्क था कि अभिलेख में संवत् 2035 की जमाबंदी में नामान्तरकरण के जरिये तीनों के नाम सहमति से दर्ज करवाए गए थे जिसकी आज तक अपील पेश नहीं की गई है। उनका तर्क था कि नामान्तरकरण सं0 717, उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 20–02–82 के अनुसार दिनांक 20–12–82 को स्वीकृत किया गया है, जो सही है और उसके विरूद्ध आज तक कोई अपील पेश नहीं की गई। उनका तर्क था कि दावे के मूल प्रश्न पर कि रकबा पुश्तैनी है या नहीं इसके लिए संवत् 2010 से 2016 तक का अभिलेख तलब करना आवश्यक था और इसके बगैर विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की, ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय ने प्रथम अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, उनके द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, अतः द्वितीय अपील के स्तर पर उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः द्वितीय अपील निरस्त की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी/वादी का मुख्य कथन रहा है कि विवादित भूमि उनके पिता व पति सुरजाराम के नाम संवत् 2010 से लगातार कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का कथन था कि अपीलार्थी/वादीगण ने संवत् 2010 से 2012 का कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में संवत् 2010 से 2012 तक का कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादिया मु0 लाली पी0डब्ल्यू–1 ने जिरह में यह कहा कि यह भूमि कालूराम के वक्त की नहीं है, मेरे पति को संवत् 2014–15 में आवंटन हुई थी। इस तथ्य के समर्थन में कोई भी आवंटन आदेश न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने माना कि यह एक जांच का बिन्दु है कि यह भूमि अपीलार्थीगण/वादीगण के धारण में कैसे आई, क्योंकि वादी यह जमीन कालूराम के धारण की होना बताता है तथा संवत् 2013 से 2016 की जमाबंदी जो खसरा नं0 238 बाबत् है, उनके समक्ष पेश की गई है। उक्त खसरा नं0 238 बाबत् वादीगण का अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष कथन रहा कि यह भूमि विवादित भूमि से अलग है। अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी का यह कथन रहा है कि यह भूमि उनके पिता कालूराम की थी और उसमें वादी व प्रतिवादी का 1/3,1/3 व 1/3 हिस्सा होना चाहिए था किन्तु सुरुजाराम ने बड़ा पुत्र होने के कारण विवादित भूमि को अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर कोई राजस्व अभिलेख या अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री किया है, वह त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि वे दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का पुनः अवसर देकर यह जांच करें कि विवादित भूमि कालूराम के धारण की भूमि थी अथवा वादी के पति/पिता सुरजाराम की आवंटनशुदा भूमि थी। हमारी राय में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने तथ्यों एवं विधिक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करते

हुए प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः हम द्वितीय अपील के माध्यम से राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

8– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–01–2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य